

म-अ- 126/21

8-10-21

विषय - सम्मानजनक नाम/जाति इत्यादि हेतु।
महोदय

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित प्रोपेकन है कि प्रार्थी विमला का नाम उर्वर पत्नी का निवासी है। नाम उर्वर पत्नी की उपासना में स्वतंत्र रूप से 49/127 पर प्रार्थी का नाम/जाति प्रिया के नाम/जाति प्रिया के स्थान पर राजपूत करने का कर्तव्य है।

GCMS No.
2021/294

प्राची विमला
नाम विमला
पिता का नाम सुभा
जाति राजपूत निवासी उर्वर पत्नी

रिपोर्ट

दिनांक

प्रार्थी विमला पुत्र सुभा के प्रार्थना पत्र पर मजबूत आत्म न जानकारी ली गई है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र व पहचान हेतु दस्तावेज पेश किये हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम/जाति से पुकारा जाता है। प्रार्थी का नाम/जाति प्रिया के स्थान पर राजपूत करने में किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी है। अतः प्रार्थी का नाम/जाति प्रिया के स्थान पर उसका नाम/जाति राजपूत करना उचित होगा।

अभिनेख निरीक्षक वृत्त

पटवारी हत्का

कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख) गंगापुर सिटी

क्रमांक - भू.अ. / रा.लो.अ./2016/

दिनांक

रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार प्रार्थी विमला का नाम उर्वर पत्नी का निवासी उर्वर पत्नी के स्थान पर राजपूत शुद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.अभि.)
गंगापुर सिटी (सं.मा.)
कैम्प उर्वर पत्नी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी

दिनांक - 08-10-2021

क्रमांक :- राजस्व/ रा.लो.अ./2016/ 294
स्वीकृति आदेश

तहसीलदार गंगापुर सिटी की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री विमला पुत्र श्री सुभा का नाम/जाति राजपूत का नाम/जाति राजस्वानुसूची राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रिया के स्थान पर राजपूत शुद्ध करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी
कैम्प

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सं.मा.)

